कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 628 / निरीक्षण / 2005 भोपाल, दिनांक 4.3.2005

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश.

विषयः– पंजीयन अभिलेखों की सुरक्षा के संबंध में ।

मेरे ध्यान में आया है कि कुछ पंजीयन कार्यालयों में अभिलेखों की सुरक्षा की ओर वांछित ध्यान नहीं दिया जाता है, यह स्थिति उचित नहीं है । पंजीयन अभिलेख जनता की सम्पत्ति की अमूल्य धरोहर है तथा पंजीयन अधिकारी का प्रथम कर्तव्य इन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा करना है । अभिलेखागार के रख–रखाव तथा पंजीयन अभिलेखों की सुरक्षा के संबंध में इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश दिये गये हैं । इसी अनुक्रम में पंजीयन अभिलेखों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. अधिकतर जिला मुख्यालयों में अभिलेखों की रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए चौकीदार की नियुक्ति की गई है । ऐसे काय्रलयों में चौकीदार की देखरेख में अभिलेखों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाये । जिले तथा तहसील मुख्यालयों पर स्थित ऐसे पंजीयन कार्यालय जो कि कलेक्ट्रेट / तहसील कार्यालय में स्थित है, में पंजीयन अभिलेखों की सुरक्षा को कलेक्ट्रेट / तहसील कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए नियुक्त चौकीदार की देखरेख में पंजीयन अभिलेखों की रात्रिकालीन सुरक्षा सुनिश्चित की जाये । ऐसे पंजीयन कार्यालय जो कि तहसीलल अथवा जिला कार्यालय में स्थित न हो, उनमें पंजीयन अभिलेखों की रात्रिकालीन सुरक्षा पंजीयन मैन्युअल भाग–दो की कण्डिका 31 के अनुसार उस कार्यालय के लिए नियुक्त भृत्य की देखरेख में सुनिश्चित की जाये ।

2. पंजीयन मैन्युअल भाग–दो की कण्डिका 16 में रिकार्ड कीपर के कृत्यों का उल्लेख किया गया है तथा कण्डिका 72 से 74 में अभिलेखों की सुरक्षा अभिरक्षा एवं उनके संधारण की व्यवस्था तथा अभिलेखाकार के रख–रखाव के बार में अनुदेश दिये गये हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. प्रदेश के अधिकतर पंजीयन कार्यालयों में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध हैं । ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर, जिनमें रिफिलिंग कराया जाना हो, उनमें तत्काल रिफिलिंग करायी जाये । जिन पंजीयन कार्यालयों में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध नहीं है, उन पंजीयन कार्यालयों में ततकाल नियमानुसार फायर एक्सटिंग्शिवर लगवायें जायें ।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पंजीयन कार्यालय के अभिलेखागार में कोई बिजली का स्विच बोर्ड खुला न रहे तथा बिजली के लूज कनेक्शन न हों ।

5. जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर, यह प्रयास करें कि अभिलेखाकार के नजदीक कम से कम तीन इंच की पाइप लाइन का पानी का कलेक्शन, जो सीधा पानी की टंकी से जुड़ा हो, उपलब्ध हो जाये । इस कलेक्टर का इस प्रकार ताला लगाकर रखा जाये ताकि आग लगने पर ताला खोलकर आग बुझााने हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

हस्ता/–

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश